SarkariExam.com

परिणाम के साथ दिया जायेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल अभ्यर्थी को परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रूप से परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कराना होगा । उक्त समय के बाद मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी, भले ही उसने प्रवेश पत्र को संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो । उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा ।

(2) प्रवेश पत्र – मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एमपीऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाईट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट एमपीऑनलाइन की वेबसाईट (www.mponline.gov.in) के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिंटआउट की सुविधा मुख्य परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

दो – मुख्य परीक्षा की तिथि : बाद में अधिसूचित की जावेगी जो लगातार दो दिन दो शिफ्ट में होगी ।

तीन –मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम –

मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न कराई जावेगी, मुख्य परीक्षा में 04 (चार) प्रश्न पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल किये जायेंगे, मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी वह लगातार दो दिनों में दो–दो शिफ्टों में संपन्न कराई जावेगी। पहले दिन प्रथम शिफ्ट में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय शिफ्ट में द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी इसी प्रकार दूसरे दिन प्रथम शिफ्ट में तृतीय प्रश्न पत्र एवं द्वितीय शिफ्ट में चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

(अ) प्रथम प्रश्न पत्र – प्रथम प्रश्न पत्र संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं :–

1. भारत का संविधान
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
3. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (अध्याय – I, II and VI to VII)
6. परिसीमा अधिनियम, 1963 (भाग – II & III)

SarkariExam.com

SarkariExam.com

(ब) द्वितीय प्रश्न पत्र – द्वितीय प्रश्न पत्र लेखन एवं संक्षेपण का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

1. लेख सामाजिक विषय पर – 30 अंक
2. लेख विधिक विषय पर – 20 अंक
3. संक्षिप्तिकरण लेखन – 20 अंक
4. हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद – 15 अंक
5. अँग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद – 15 अंक

(स) तृतीय प्रश्न पत्र – तृतीय प्रश्न पत्र स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

SarkariExam.com

1. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961
2. म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. भारतीय दंड संहिता, 1860
5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
6. नेगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट,1881 (धारा 138 से धारा 147 तक)

(द) चतुर्थ प्रश्न पत्र – चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, चतुर्थ प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

1. विवाद्यकों का स्थिरीकरण – 10 अंक
2. आरोपों की विरचना – 10 अंक
3. निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II) – 40 अंक
4. निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC) – 40 अंक

नोट– 1. सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखना होगा।

2. संक्षिप्तिकरण लेखन के लिए वादपत्र (Plaint), वादोत्तर (Written Statement) अथवा आरोप पत्र (Charge-sheet) /परिवाद पत्र (Complaint) की कॉपी दी जा सकेगी और अभ्यर्थी से उसके एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जा सकेगा ।

3. उपर्युक्त समस्त प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। किसी प्रकार की भिन्नता दोनों भाषाओं के प्रश्न में होने पर अंग्रेजी भाषा का प्रश्न मानक होगा।

4. सभी प्रश्न–पत्रों की उत्तर–पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है । यदि किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।

SarkariExam.com

SarkariExam.com

SarkariExam.com

5. परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करेंगे। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित नहीं करेंगे जिससे की परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके। चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन में परीक्षार्थी न्यायालय में किसी नाम का उल्लेख न कर "क, ख, ग" अथवा "अ, ब, स" का उल्लेख करेंगे। उपरोक्त सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

चार– मुख्य परीक्षा का परिणाम :–

1. मुख्य परीक्षा में सभी चार प्रश्न पत्रों में मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 45% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. मुख्य परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों में से उक्तानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों में से श्रेणीवार विज्ञप्तित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना (जो कम हो सकती है) मेरिट में एवं समान अंक प्राप्त आवेदक को शामिल करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए चयनित किये जायेंगे।

नोट–1. प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे ।

2. परीक्षा के किसी भी स्तर पर अर्थात प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा से संबंधित पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

3. साक्षात्कार

एक– साक्षात्कार – मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक के क्रम से साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित हैं ।

दो– अंतिम चयन का आधार – अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

नोट– साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा।

SarkariExam.com

SarkariExam.com